2383

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–29 / 2021 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक २५/ 11 / 2024

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः– Diversion of 228.0425 ha of forest land in favour of NHAI PIU Dhamtari for Development of Economic Corridors, Inter-corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur–Vishakhapatnam (CH.0.000-Ch. 124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661).

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर का पत्र क्र.FC-III/IROCH-04/2022/673,दिनांक 12.04.2022।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर का पत्र क्र.FC-III/IROCH-04/2022/991,दिनांक 27.10.2022।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर का पत्र क्र.FC-III/IROCH-04/2022/1083,दिनांक 02.12.2022।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्र.FC-III/IROCH-04/2022/1450,दिनांक 04.07.2023।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / 115–883 / 2397, दिनांक 27.09.2024।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय की गई है। कालांतर में संदर्भित पत्र क्र. 2 एवं 3 के माध्यम से उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में कुछ शर्तों का संशोधन कर अन्य अतिरिक्त शर्तों को अधिरोपित किया गया तथा संदर्भित पत्र क्र. 4 के माध्यम से वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र हेतु सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

2/– भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1, 2, 3 तथा 4 में अधिरोपित उक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 5 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है।

2384

3/– कृपया विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्र. 3 में अधिरोपित शर्त क्र. (b) एवं (c) हेतु MoEF नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देशानुसार उक्त प्रकरण को REC में पुर्नविचार कर प्रकरण में द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–29/2021/10–2
नवा रायपुर, दिनांक 25/11/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर/कांकेर वृत्त, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, धमतरी/कांकेर/केशकाल वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना एवं क्रियान्वयन इकाई, ब्लाक एफ–5, शिवराज ग्रिन्स, धमतरी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पंजी क्रमांक 2015 /201/10-2/वन दिनांक 03-10-2024

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–883/2397 रायपुर, दिनांक 27/09/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of 228.0425 ha. of forest land in favour of NHAI PIU DHAMTARIfor Development of Economic Corridors, Inter- corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement inIndia (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000- Ch. 124.661)in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661) (Monkey Canopy Chainage/Location in Dhamtari Forest Division)**
(पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/ROAD/119866/2021** दिनांक 16/07/2021)

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-III/IROCH-04/ 2022/ 673 दिनांक 12.04.2022 – **रकबा 180.167 हे.**
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-III/IROCH-04/ 2022/ 1450 दिनांक 04.07.2023 – **रकबा 47.875 हे.**
3. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ 5–29/ 10–2 दिनांक 26.04.2022 एवं पत्र दिनांक 04.07 2023
4. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक शा/ एन. एच.ए.आई./ 10182 दिनांक 20.09.2024

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर के संदर्भित पत्र – 1 एवं 2 के माध्यम से धमतरी, कांकेर एवं केशकाल वन मंडल में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु रायपुर–विशाखापट्नम राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना रकबा 228.0425 हे. प्रकरण में (दिनांक 12.04.2022 से रकबा 180.1675 हे. एवं दिनांक 04.07.2023 से रकबा 47.875 हे.) क्रमशः दो चरणों में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में संदर्भित पत्र 1 एवं 2 के माध्यम से दो चरणों में जारी प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार एकजाई पालन प्रतिवेदन संदर्भ पत्र–4 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
1.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04 /2022/678 दिनांक 12.04.2022 द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन	
(i)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान

01 OCT 2024

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
		का वचन पत्र संलग्न है। संलग्नक– 01
(ii)	**Compensatory afforestation**	
a.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 457 ha spread in 19 patches in 03 forest ranges in Mahasamund Forest Divison. Orange Forest Area in Rajnandgoan division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted, and monoculture of any species may be avoided.	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 228.0425 हे. विरूद्ध स्वीकृति अनुसार महासमुंद वनमंडल के 3 वन परिक्षेत्र के 19 स्थानों में वन विभाग द्वारा निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जावेगा।

Patch No.	Range	Compartment No	Area (ha.)
1	Saraipali	437	50.00
2	Saraipali	504	12.00
3	Saraipali	516	12.00
4	Saraipali	494	15.00
5	Saraipali	495A	20.00
6	Saraipali	495B	20.00
7	Saraipali	495C	25.00
8	Saraipali	346	20.00
9	Pithaura	229A	10.00
10	Pithaura	229B	10.00
11	Pithaura	282	40.00
12	Pithaura	278	50.00
13	Pithaura	211	10.00
14	Mahasamund	64	50.00
15	Mahasamund	73	6.00
16	Mahasamund	69	20.00
17	Mahasamund	41	50.00
18	Mahasamund	49	7.00
19	Mahasamund	59	30.00
Total	**3 Range**		**457.00**

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(iii)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the current wage rate to the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years:	आवेदक संस्थान द्वारा 457.00 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के निर्धारित दर रू. 11,69,680/– प्रति हे. के मान से रू. 53,45,43,760/– कैम्पा खाता में निम्नानुसार जमा किया गया है–

क्र.	दिनांक	राशि (रूपये में)
1	26.05.2022	40,16,05,659/–
2.	07.09.2024	13,29,38,101/–
	योगः–	**53,45,43,760/–**

संलग्नक– 02

<table>
<tr><th>सं.क्र.</th><th>अधिरोपित शर्त</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>NPV:</td><td></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) at present rate for the 228.0425 ha (180.1675 ha at present and 47.875 ha after ESZ notification) forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2005 in I.A No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PL.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 228.0425 हे. क्षेत्र का शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि इस कार्यालय के मांग पत्र के आधार पर वनमंडलवार कुल राशि रू. 29,86,87,967/— कैम्पा खाता में निम्नानुसार जमा किया गया है:—
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल</th><th>राशि (रू. में)</th><th>दिनांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>18,67,47,817/—</td><td rowspan="3">26.05.2024</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कांकेर</td><td>5,29,44,553/—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">केशकाल</td><td>5,58,74,350/—</td></tr>
<tr><td>31,21,247/—</td><td>07.09.2024</td></tr>
<tr><td></td><td>योग:—</td><td>29,86,87,967/—</td><td></td></tr>
</table>
संलग्नक—02</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</td><td>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अतिरिक्त राशि निर्धारित किया जाता है तो उक्त अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।
संलग्नक—03</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>Forest clearance is agreed only for diversion of 180.1675 ha forest areas under FC Act, and it does not include forest areas falling under ESZ/ PA.</td><td>उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
संलग्नक—04</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>For the stretch from 89.641 to km 124.661 (35.020 km) falling under default (10 km) ESZ of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve and constituting an area of 47.875 ha, the User Agency shall obtain the revised ESZ notification or approval from the NBWL as mandated under the FC Act, rules and guidelines. In case any realignment or other changes are suggested by NBWL or MoEF& CC during the course, the consequential changes, if any, will be effective in the "In Principle" FC approval accordingly.</td><td>उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वाईल्डलाईफ डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.07.2023 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई वन्यप्राणी स्वीकृति को संलग्न किया गया है।
संलग्नक—05 एवं 06</td></tr>
</table>

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(vii)	Wildlife Conservation and Management Plan approved by Principal Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh as per the WII guidelines shall be submitted before Stage-II approval.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक/ व.प्रा./प्रबंध–2–546/110 नवा रायपुर, दिनांक 02.05.2024 द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना लागत राशि रू.12,09,80,000/– का अनुमोदन किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अनुसार राशि रू. 12,09,80,000/– कैम्पा खाता में NEFT No. P146220171195301 dt.26.05.2022 द्वारा जमा किया गया है। **संलग्नक–07 एवं 02**
(viii)	The state shall ascertain whether proposed wildlife area or any portion thereof falls in the declared Indravati-Udanti-Sitanadi-Sunabeda Tiger Corridor. In case of any area falling in the Tiger Corridor, the User agency shall take necessary approval from NTCA, the same shall be submitted before Stage-II approval:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वाईल्डलाईफ डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.07.2023 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई वन्यप्राणी स्वीकृति को संलग्न किया गया है। **संलग्नक–08 एवं 06**
(ix)	Total 354 nos, of structures proposed in 81.817 km road length (Road length in Forests 47.875 Km), proposed cross structures for movement of animals are at the interval of 200-250 meters The suitability of the structures and their quantity will be examined by the Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh and the prescribed statutory authorities in the management plan submitted the User Agency, as per the extant guidelines, the same shall be submitted before Stage-II approval.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–09**
(x)	The clearance from Project Elephant Division, if required, shall be before the Stage-II approval:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प्रोजेक्ट एलीफेन्ट डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई स्वीकृति को संलग्न किया गया है। **संलग्नक–10 एवं 11**
(xi)	Out of the total project affected 87,613 trees only 68,013 will be felled in 30 meters of Row and 19600 trees falling in the on either side of the road will be kept intact. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest	प्रकरण अंतर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.12.2022 में अधिरोपित अतिरिक्त शर्त (a) के पालन तथा पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा इंटरचेंज लोकेशन में स्थित वृक्षों के विदोहन की दी गई अनुमति के अनुक्रम में आवेदक संस्थान के व्यय पर संबंधित स्थानीय वन अधिकारियों की निगरानी में न्यूनतम वृक्षों की कटाई की गई है। वनमंडलवार प्रभावित/काटे गये वृक्षों की जानकारी निम्नानुसार है:–

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>अधिरोपित शर्त</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td></td><td>Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department</td><td>
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल</th><th>प्रभावित वृक्ष</th><th>काटे गये वृक्ष</th></tr>
<tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>66431</td><td>66095</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कांकेर</td><td>15341</td><td>13696</td></tr>
<tr><td>3</td><td>केशकाल</td><td>9359</td><td>6242</td></tr>
<tr><td></td><td>योग:—</td><td>91131</td><td>86033</td></tr>
</table>
संलग्नक—12</td></tr>
<tr><td>(xii)</td><td>User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable, before the Stage-II approval.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (इम्पेक्ट एसेसमेन्ट डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.05.2022 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई पर्यावरण स्वीकृति को संलग्न किया गया है।
संलग्नक—13</td></tr>
<tr><td>(xiii)</td><td>All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<u>https://parivesh.nic.in</u>);</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के शर्तो के पालन में राशि रू. 81,81,52,379/— दिनांक 26.05.2022 को तथा राशि रू. 13,60,59,348/— दिनांक 07.09.2024 को इस प्रकार कुल राशि रू. 95,42,11,727/— कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जो निम्नानुसार है:—
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मद</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण</td><td>53,45,43,760/—</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शुद्ध प्रत्याशा मूल्य</td><td>29,86,87,967/—</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन्यप्राणी संरक्षण योजना</td><td>12,09,80,000/—</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल जमा राशि</td><td>95,42,11,727/—</td></tr>
</table>
संलग्नक—02</td></tr>
<tr><td>(xiv)</td><td>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत प्रभावित वन भूमि में वितरित FRA प्रमाण पत्र FORM-I एवं प्रदर्श—स" संबंधित जिला कलेक्टर से प्राप्तकर संलग्न किया गया है।
संलग्नक—14</td></tr>
<tr><td>(xv)</td><td>Strip plantations on both sides and central verge of the road as per the IRC norms shall be raised by the State forest department by planting tall seedlings of 8-10 feet in height at the cost of User Agency, further, same shall be protected by chain linked fencing at least for initial three years of its growth. In forest patches, plantations of ornamental species should be avoided and preference shall be given to native forest tree species including fruit bearing tree species, like mango, banyan, tamarind, etc;</td><td>उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
संलग्नक—15</td></tr>
<tr><td>(xvi)</td><td>Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Forest Areas:</td><td>उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
संलग्नक—16</td></tr>
</table>

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(xvii)	User Agency in consultation with forest department shall prepare 26 Underpasses, one tunnel of length 2.83 km and 3 viaducts having total length 960 meter along with the following structures. 29 nos. of Monkey Canopy. 5 nos. of Major Bridges. 37 nos. of Minor Bridges. 3 nos. Viaduct, 14 nos. of VUP, 2 nos. VOP. 33 nos of LVUP and 233 nos. of Box culverts.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–17**
(xviii)	The User Agency in consultation with Forest Department shall provide under/over pass for safe passage of wild animals at suitable places as per Wildlife Institute of India's manual entitled "Eco friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" published in 2016;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–18**
(xix)	NHAI shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 50,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for better relation with local people residing in vicinity of proposed road, NHAI shall voluntary distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost. A compliance report includeing species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–19**
(xx)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–20**
(xxi)	No labour camp shall be established on the forest land;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–21**
(xxii)	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	**संलग्नक–22**
(xxiii)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–23**
(xxiv)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–24**
(xxv)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–25**
(xxvi)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–26**
(xxvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–27**
(xxviii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–28**
(xxix)	Any other condition that the Ministry of Environment. Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–29**
(xxx)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है।
2.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC -III / IROCH - 04/ 2022/1083 दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन	
(a)	The Committee approved the proposal for felling of trees in 45m RoW of the project, the User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्थान के व्यय पर संबंधित स्थानीय वन अधिकारियों की निगरानी में प्रकरण अंतर्गत प्रभावित न्यूनतम वृक्षों की कटाई की गई है। वनमंडलवार प्रभावित/काटे गये वृक्षों की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	वनमंडल	प्रभावित वृक्ष	काटे गये वृक्ष
1	धमतरी	66431	66095

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन

2	कांकेर	15341	13696
3	केशकाल	9359	6242
	योगः—	**91131**	**86,033**

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(b)	In lieu of the translocation, block plantation of 10 times of trees felled in RoW beyond 30m will be carried out in the nearby area/Divisions identified by Forest Department. The block plantation will consist particularly of the slow-growing tress Shorea robusta, Pterocarpus marsupium and Terminalia tomentosa. The plantations will be facilitated by drip-irrigation and intensive care to ensure their survival. Henceforth, the plantations will be raised by the Forest Department instead of the NHAI to ensure better success. All costs including maintenance will be borne by the User Agency and in every six month a report will be submitted to the Regional Office of MoEF&CC, Raipur;	उक्त शर्त को विलोपित करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पत्र दिनांक 23.04..2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आवेदक संस्थान के द्वारा किये गये अनुरोध पर पत्र दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से वन महानिरीक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.09.2024 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि उक्त अतिरिक्त शर्त को REC द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। अतः पालन प्रतिवेदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नवा रायपुर भेजकर शर्त पर पुनर्विचार किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा उक्त अनुरोध के संबंध में प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह भा.रा.रा.प्रा. को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक—30**
(c)	Avenue plantations of 10 times of trees felled in 30 m RoW will be raised by the User agencies at their own cost	उक्त शर्त को विलोपित करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पत्र दिनांक 23.04..2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आवेदक संस्थान के द्वारा किये गये अनुरोध पर पत्र दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से वन महानिरीक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली पुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.09.2024 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि उक्त अतिरिक्त शर्त को REC द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। अतः पालन प्रतिवेदन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नवा रायपुर भेजकर शर्त पर पुनर्विचार किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा उक्त अनुरोध के संबंध में प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह भा.रा.रा.प्रा. को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक—31**
3.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-III/IROCH-04/2022/1450 दिनांक 04.07.2023 द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन	
(i)	The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision. It shall also comply with all the mitigation measures suggested by WII.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक—32**
(ii)	The Construction work shall be allowed from dawn to dusk only	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक—33**

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(iii)	Any other condition imposed from time to time by forest department	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–34**
(iv)	There shall be caution sign boards at every 500 meters about animal passing, restriction on feeding animals, garbage dumping, no stopping/honking and hunting etc. as per the advice of forest department.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–35**
(v)	All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/cc culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians and small animals	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–36**
(vi)	Underpasses will also have integrated options of light and sound barriers, camouflaging, and landscaping including restoration of habitat beneath underpasses after construction for the forest patch through which corridor is passing.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–37**
(vii)	There will not be a right of passage to the public via the underpass	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–38**
(viii)	The Chief Wild Life Warden should have an adequate monitoring mechanism in place.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–39**
(ix)	An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–40**

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र–4 के माध्यम से प्राप्त पालन प्रतिवेदन अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। शर्त क्रमांक 2 (b) एवं (c) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09.09.2024 को दिये गये मार्गदर्शन अनुसार REC में पुनर्विचार किया जाना है। तदानुसार शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर से अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु लेख करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन(सं.एवं सं.)अ.)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू--प्रबंध/विविध/115--883 /2398 नवा रायपुर, दिनांक 24/09/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

01. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (वन्यप्राणी) अटल नगर, अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.।

03. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।

04. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ़।

05. **कलेक्टर**, जिला धमतरी / कांकेर, छत्तीसगढ़।

06. **वनमंडलाधिकारी**, कांकेर/केशकाल / धमतरी वनमंडल, छत्तीसगढ़।

07. **परियोजना निदेशक**, परियोजना क्रियान्यवन इकाई धमतरी ब्लॉक एफ--05 शिवराज ग्रीन्स सिहावा रोड धमतरी छ.ग.।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू--प्र./वन(स.एवं सं.)अ.)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त,रायपुर (छत्तीसगढ)

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर

जीरो पांईट, महालेखाकार के सामने, बलौदाबजार रोड, रायपुर (छ.ग.)

E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./NHAI/ 10182 रायपुर, दिनांक 20/09/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू–प्रबंध/वन (सं. एवं सं.) अ.)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

विषयः— **Diversion of 228.0425 ha. Of forest land in fovour of NHAI PIU Dhamtari for Development of Economic Corridors, Inter - Corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand/ Package-2) Raipur-Vishakhapatnam (Ch. 0.000-Ch.124.661) in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661ha.)**
(पंजीयन क्रं. FP/CG/road/119866/2021)

संदर्भः—1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र कमांक/**FC-III/IROCH-04/2022/678** दिनांक 12.04.2022 एवं पत्र कमांक/**FC-III/IROCH-04/2022/1083** दिनांक 02.12.2022 एवं **FC-III/IROCH-04/2022 / 1450** दिनांक 04.07.2023

2. आपका पृष्ठांकन कमांक/भू--प्रबंध/विविध/115—883/1580 दिनांक 05.07.2023

3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.शा./NHAI/7082 दिनांक 03.06.2022

4. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी का पत्र कमांक/मा.चि./व.सं.अ./29/सी/ 2066 दिनांक 12.09.2024

———————00———————

विषयांतर्गत लेख है की धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् Diversion of 228.0425 ha. Of forest land in fovour of NHAI PIU Dhamtari for Development of Economic Corridors, Inter - Corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency of freight movement in India (Lot-03/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000-Ch.124.661) in the State of Chhattisgarh हेतु रकबा 228.0425 हे. व्यवर्तन प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तत मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय अटल नगर नवा रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र 01 के माध्यम से प्रकरण में प्रभावित संपूर्ण रकबा 228.0425 हे. वनभूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्रकरण में वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी के द्वारा प्रकरण में जारी प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 12.04.2022 (सामान्य क्षेत्र रकबा 180.167 हे.) का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जिसे इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 03 के माध्यम से आपको प्रेषित किया गया है।

वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी के द्वारा लेख किया गया है कि प्रकरण में जारी प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 02.012.2022 (अतिरिक्त अधिरोपित शर्त) एवं 04.07.2023 (ESZ क्षेत्र रकबा 47.875 हे.) का पालन प्रतिवेदन एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की राशि तथा अतिरिक्त शर्त (b) के पालन में अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि आवेदक संस्थान के द्वारा कैम्पा मद में जमा कराया गया है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के द्वारा संदर्भित पत्र 01 के माध्यम से जारी प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का एकजाई पालन प्रतिवेदन संदर्भित पत्र 04 के माध्यम से वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त

पालन प्रतिवदेन अवलोकन उपरांत अनुशंसा सहित 03 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है। प्रकरण में भारत सरकार से अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(पालन प्रतिवदेन 03 प्रतियों में)

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.शा./NHAI/ 10183 रायपुर, दिनांक 20/01/2024

प्रतिलिपि :—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल धमतरी की ओर संदर्भित पत्र 04 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी, कांकेर/केशकाल वनमंडल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन धमतरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ब्लॉक एफ—05, शिवराज ग्रीन्स, सिहावा रोड़ धमतरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

2206

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./29/सी/2066 धमतरी,दिनांक: 12/09/2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त क्र. 7763 दिनांक 13/9/24 रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of 228.0425 ha. of forest land in favour of NHAI PIU DHAMTARIfor Development of Economic Corridors, Inter- corridors, feeder routes and Coastal Road to improve the efficiency, of freight movement inIndia (Lot-3/Odisha & Jharkhand/Package-2) Raipur- Vishakhapatnam (Ch. 0.000- Ch. 124.661)in the State of Chhattisgarh under Bharatmala Pariyojana. (Forest Proposal is for between km 42+844 to km 124.661) (Monkey Canopy Chainage/Location in Dhamtari Forest Division)**
(पंजीयन क्रमांक – FP/CG/ROAD/119866/2021 दिनांक 16/07/2021)

संदर्भ:– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/678 दिनांक 12.04.2022, पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022 /1083 दिनांक 02.12.2022 एवं का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04/2022/1450 दिनांक 04.07.2023

2. परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्यवन इकाई धमतरी का पत्र क्रमांक/PD/DMT/Rai-Vish/Forest/ 4195 दिनांक 28.06.2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./29/सी/1241 दिनांक 29.06.2022
4. परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्यवन इकाई धमतरी का पत्र क्रमांक/PD/DMT/Rai-Vish/Forest/ 6078 दिनांक 04.07.2023
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–883/1579 दिनांक 05.07.2023
6. परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्यवन इकाई धमतरी का पत्र क्रमांक/PD/DMT/RV/Forest/ 6407 दिनांक 11.09.2023
7. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/6274 दिनांक 08.11.2023, पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/3397 दिनांक 20.06.2024 एवं पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/3501 दिनांक 25.06.2024
परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्यवन इकाई धमतरी का पत्र क्रमांक/PD/DMT/Rai-Vis/Forest/ 8002 दिनांक 07.09.2024

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
13·9·24

⊗⊗⊗

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित रायपुर–विशाखपट्टनम भारतमाला परियोजना प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर के संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से प्रकरण में प्रभावित संपूर्ण रकबा 228.0425 हे. वनभूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से प्रकरण में जारी प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 12.04.2022 (सामान्य क्षेत्र रकबा 180.167 हे.) का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र 4 के माध्यम से प्रकरण में जारी प्रथम चरण स्वीकृति दिनांक 02.12.2022 (अतिरिक्त अधिरोपित शर्त) एवं 04.07.2023 (ई.एस.जेड. क्षेत्र रकबा 47.875 हे.) का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया, जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. के संदर्भित पत्र 5 के माध्यम से सीधे छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया गया।

आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र 6 के माध्यम से प्रकरण में अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से जारी प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को

प्रस्तुत किया गया, जिसमें कमियां पाये जाने के कारण इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 7 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा कमियों की पूर्ति कर पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया। साथ ही संदर्भित पत्र 7 दिनांक 20.06.2024 के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण तथा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की राशि जमा करने तथा पत्र दिनांक 25.06.2024 के द्वारा अतिरिक्त शर्त (b) के पालन में अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि का मांग पत्र जारी किया गया।

आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र 8 के माध्यम से इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 7 के द्वारा ली गई आपत्ति/जारी मांग पत्र अनुसार जानकारी/राशि जमा कर तथा वचन पत्र संलग्न कर पालन प्रतिवेदन पुनः प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण अंतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से जारी प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का आवेदक संस्थान के संदर्भित पत्र 2, 4, 6 एवं 8 के द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन एकजाई कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>अधिरोपित शर्त</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-04 /2022/678 दिनांक 12.04.2022 द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Legal status of the forest land shall remain unchanged.</td><td>वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
संलग्नक– 01</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>**Compensatory afforestation**</td><td rowspan="2">प्रकरण में प्रभावित वनभूमि रकबा 228.0425 हे. विरूद्ध स्वीकृति अनुसार महासमुंद वनमंडल के 3 वन परिक्षेत्र के 19 स्थानों में वन विभाग द्वारा निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जावेगा।
<table>
<tr><th>Patch No.</th><th>Range</th><th>Compartment No</th><th>Area (ha.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Saraipali</td><td>437</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Saraipali</td><td>504</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Saraipali</td><td>516</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Saraipali</td><td>494</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Saraipali</td><td>495A</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Saraipali</td><td>495B</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Saraipali</td><td>495C</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Saraipali</td><td>346</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pithaura</td><td>229A</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pithaura</td><td>229B</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pithaura</td><td>282</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Pithaura</td><td>278</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Pithaura</td><td>211</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Mahasamund</td><td>64</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Mahasamund</td><td>73</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Mahasamund</td><td>69</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Mahasamund</td><td>41</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Mahasamund</td><td>49</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Mahasamund</td><td>59</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>**Total**</td><td>**3 Range**</td><td></td><td>**457.00**</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 457 ha spread in 19 patches in 03 forest ranges in Mahasamund Forest Divison. Orange Forest Area in Rajnandgoan division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted, and monoculture of any species may be avoided.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>अधिरोपित शर्त</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the current wage rate to the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years:</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा 457.00 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के निर्धारित दर रू. 11,69,680/– प्रति हे. के मान से रू. 53,45,43,760/– कैम्पा खाता में निम्नानुसार जमा किया गया है–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>दिनांक</th><th>राशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>26.05.2022</td><td>40,16,05,659/–</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>07.09.2024</td><td>13,29,38,101/–</td></tr>
<tr><td></td><td>योगः–</td><td>53,45,43,760/–</td></tr>
</table>
संलग्नक– 02</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>NPV:</td><td rowspan="2">आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 228.0425 हे. क्षेत्र का शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि इस कार्यालय के मांग पत्र के आधार पर वनमंडलवार कुल राशि रू. 29,86,87,967/– कैम्पा खाता में निम्नानुसार जमा किया गया हैः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल</th><th>राशि (रू. में)</th><th>दिनांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>18,67,47,817/–</td><td rowspan="3">26.05.2024</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कांकेर</td><td>5,29,44,553/–</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">केशकाल</td><td>5,58,74,350/–</td></tr>
<tr><td>31,21,247/–</td><td>07.09.2024</td></tr>
<tr><td></td><td>योगः–</td><td>29,86,87,967/–</td><td></td></tr>
</table>
संलग्नक–02</td></tr>
<tr><td>a.</td><td>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) at present rate for the 228.0425 ha (180.1675 ha at present and 47.875 ha after ESZ notification) forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2005 in LA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PL.ll) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</td><td>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की अतिरिक्त राशि निर्धारित किया जाता है तो उक्त अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। संलग्नक–03</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>Forest clearance is agreed only for diversion of 180.1675 ha forest areas under FC Act, and it does not include forest areas falling under ESZ/ PA.</td><td>उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
संलग्नक–04</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>For the stretch from 89.641 to km 124.661 (35.020 km) falling under default (10 km) ESZ of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve and constituting an area of 47.875 ha, the User Agency shall obtain</td><td>उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वाईल्डलाईफ डिविजन) नई दिल्ली के</td></tr>
</table>

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	the revised ESZ notification or approval from the NBWL as mandated under the FC Act, rules and guidelines. In case any realignment or other changes are suggested by NBWL or MoEF& CC during the course, the consequential changes, if any, will be effective in the "In Principle" FC approval accordingly.	पत्र दिनांक 03.07.2023 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई वन्यप्राणी स्वीकृति को संलग्न किया गया है। **संलग्नक–05 एवं 06**
(vii)	Wildlife Conservation and Management Plan approved by Principal Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh as per the WII guidelines shall be submitted before Stage-ll approval.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक/ व.प्रा./प्रबंध–2–546/110 नवा रायपुर, दिनांक 02.05.2024 द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना लागत राशि रू. 12,09,80,000/– का अनुमोदन किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अनुसार राशि रू. 12,09,80,000/– कैम्पा खाता में NEFT No. P146220171195301 dt.26.05.2022 द्वारा जमा किया गया है। **संलग्नक–07 एवं 02**
(viii)	The state shall ascertain whether proposed wildlife area or any portion thereof falls in the declared Indravati-Udanti-Sitanadi-Sunabeda Tiger Corridor. In case of any area falling in the Tiger Corridor, the User agency shall take necessary approval from NTCA, the same shall be submitted before Stage-II approval:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वाईल्डलाईफ डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.07.2023 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई वन्यप्राणी स्वीकृति को संलग्न किया गया है। **संलग्नक–08 एवं 06**
(ix)	Total 354 nos, of structures proposed in 81.817 km road length (Road length in Forests 47.875 Km), proposed cross structures for movement of animals are at the interval of 200-250 meters The suitability of the structures and their quantity will be examined by the Chief Wildlife Warden, Government of Chhattisgarh and the prescribed statutory authorities in the management plan submitted the User Agency, as per the extant guidelines, the same shall be submitted before Stage-II approval.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–09**
(x)	The clearance from Project Elephant Division, if required, shall be before the Stage-II approval:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प्रोजेक्ट एलीफेन्ट डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.12.2021 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई स्वीकृति को संलग्न किया गया है। **संलग्नक–10 एवं 11**

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>अधिरोपित शर्त</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>Out of the total project affected 87,613 trees only 68,013 will be felled in 30 meters of Row and 19600 trees falling in the on either side of the road will be kept intact. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department</td><td>प्रकरण अंतर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.12.2022 में अधिरोपित अतिरिक्त शर्त (a) के पालन तथा पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा इंटरचेंज लोकेशन में स्थित वृक्षों के विदोहन की दी गई अनुमति के अनुक्रम में आवेदक संस्थान के व्यय पर संबंधित स्थानीय वन अधिकारियों की निगरानी में न्यूनतम वृक्षों की कटाई की गई है। वनमंडलवार प्रभावित/कांटे गये वृक्षों की जानकारी निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल</th><th>प्रभावित वृक्ष</th><th>कांटे गये वृक्ष</th></tr>
<tr><td>1</td><td>धमतरी</td><td>66431</td><td>66095</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कांकेर</td><td>15341</td><td>13696</td></tr>
<tr><td>3</td><td>केशकाल</td><td>9359</td><td>6242</td></tr>
<tr><td></td><td>योगः–</td><td>91131</td><td>86033</td></tr>
</table>
संलग्नक–12</td></tr>
<tr><td>(xii)</td><td>User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable, before the Stage-II approval.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (इम्पेक्ट एसेसमेन्ट डिविजन) नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.05.2022 द्वारा परियोजना के संबंध में दी गई पर्यावरण स्वीकृति को संलग्न किया गया है।
संलग्नक–13</td></tr>
<tr><td>(xiii)</td><td>All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in);</td><td>आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के शर्तो के पालन में राशि रू. 81,81,52,379/– दिनांक 26.05.2022 को तथा राशि रू. 13,60,59,348/– दिनांक 07.09.2024 को इस प्रकार कुल राशि रू. 95,42,11,727/– कैम्पा खाता में जमा किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मद</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण</td><td>53,45,43,760/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शुद्ध प्रत्याशा मूल्य</td><td>29,86,87,967/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वन्यप्राणी संरक्षण योजना</td><td>12,09,80,000/–</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल जमा राशि</td><td>95,42,11,727/–</td></tr>
</table>
संलग्नक–02</td></tr>
<tr><td>(xiv)</td><td>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</td><td>आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत प्रभावित वन भूमि में वितरित FRA प्रमाण पत्र "FORM-I एवं प्रदर्श–स" संबंधित जिला कलेक्टर से प्राप्तकर संलग्न किया गया है।
संलग्नक–14</td></tr>
<tr><td>(xv)</td><td>Strip plantations on both sides and central verge of the road as per the IRC norms shall be raised by the State forest department by planting tall seedlings of 8-10 feet in height at the cost of User Agency, further, same shall be protected by chain linked fencing at least for initial three years of its growth. In forest patches, plantations of ornamental species should be avoided and preference shall be</td><td>उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
संलग्नक–15</td></tr>
</table>

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	given to native forest tree species including fruit bearing tree species, like mango, banyan, tamarind, etc;	
(xvi)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Forest Areas:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–16**
(xvii)	User Agency in consultation with forest department shall prepare 26 Underpasses, one tunnel of length 2.83 km and 3 viaducts having total length 960 meter along with the following structures. 29 nos. of Monkey Canopy. 5 nos. of Major Bridges, 37 nos. of Minor Bridges, 3 nos. Viaduct, 14 nos. of VUP, 2 nos. VOP. 33 nos of LVUP and 233 nos. of Box culverts.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–17**
(xviii)	The User Agency in consultation with Forest Department shall provide under/over pass for safe passage of wild animals at suitable places as per Wildlife Institute of India's manual entitled "Eco friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife" published in 2016;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–18**
(xix)	NHAI shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 50,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for better relation with local people residing in vicinity of proposed road, NHAI shall voluntary distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost. A compliance report includeing species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–19**
(xx)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–20**

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(xxi)	No labour camp shall be established on the forest land;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–21**
(xxii)	Sufficient firewood preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–22**
(xxiii)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–23**
(xxiv)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–24**
(xxv)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–25**
(xxvi)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–26**
(xxvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–27**
(xxviii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–28**
(xxix)	Any other condition that the Ministry of Environment. Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife:	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–29**
(xxx)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है।

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC -III / IROCH - 04/ 2022/1083 दिनांक 02.12.2022 द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन	
(a)	The Committee approved the proposal for felling of trees in 45m RoW of the project, the User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्थान के व्यय पर संबंधित स्थानीय वन अधिकारियों की निगरानी में प्रकरण अंतर्गत प्रभावित न्यूनतम वृक्षों की कटाई की गई है। वनमंडलवार प्रभावित/कांटे गये वृक्षों की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	वनमंडल	प्रभावित वृक्ष	कांटे गये वृक्ष
1	धमतरी	66431	66095
2	कांकेर	15341	13696
3	केशकाल	9359	6242
	योग:–	**91131**	**86033**

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(b)	In lieu of the translocation, block plantation of 10 times of trees felled in RoW beyond 30m will be carried out in the nearby area/Divisions identified by Forest Department. The block plantation will consist particularly of the slow-growing tress Shorea robusta, Pterocarpus marsupium and Terminalia tomentosa. The plantations will be facilitated by drip-irrigation and intensive care to ensure their survival. Henceforth, the plantations will be raised by the Forest Department instead of the NHAI to ensure better success. All costs including maintenance will be borne by the User Agency and in every six month a report will be submitted to the Regional Office of MoEF&CC, Raipur;	उक्त शर्त को विलोपित करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पत्र दिनांक 23.04..2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आवेदक संस्थान के द्वारा किये गये अनुरोध पर पत्र दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से वन महानिरीक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जो कि भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा उक्त अनुरोध के संबंध में प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह भा.रा.रा.प्रा. को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–30**
(c)	Avenue plantations of 10 times of trees felled in 30 m RoW will be raised by the User agencies at their own cost	उक्त शर्त को विलोपित करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पत्र दिनांक 23.04..2024 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आवेदक संस्थान के द्वारा किये गये अनुरोध पर पत्र दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से वन महानिरीक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जो कि भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा उक्त अनुरोध के संबंध में प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह भा.रा.रा.प्रा. को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–31**
3.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-III/IROCH-04/2022/1450 दिनांक 04.07.2023 द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन	
(i)	The user agency must ensure fencing of remaining length of the road passing through the forest in order to avoid any collision. It shall also comply with all the mitigation measures suggested by WII.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–32**

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i)	The Construction work shall be allowed from dawn to dusk only	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–33**
(iii)	Any other condition imposed from time to time by forest department	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–34**
(iv)	There shall be caution sign boards at every 500 meters about animal passing, restriction on feeding animals, garbage dumping, no stopping/honking and hunting etc. as per the advice of forest department.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–35**
(v)	All forest patches within ESZ and wildlife corridor not covered under clear opening of mitigation structures shall be provided with a small pipe/cc culvert at every 100 meters (where there are no existing/proposed cross drainage structures) for the movement of reptiles, amphibians and small animals	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–36**
(vi)	Underpasses will also have integrated options of light and sound barriers, camouflaging, and landscaping including restoration of habitat beneath underpasses after construction for the forest patch through which corridor is passing.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–37**
(vii)	There will not be a right of passage to the public via the underpass	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–38**
(viii)	The Chief Wild Life Warden should have an adequate monitoring mechanism in place.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–39**
(ix)	An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–40**

उपरोक्तानुसार प्रकरण में संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से जारी प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का एकजाई पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है। कृपया प्रकरण में भारत सरकार से अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः–संदर्भित पत्र 1 से 8 एवं संलग्नक 01 से 40 तक।

(04 प्रति में)

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

2215

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./29/जी/4870 धमतरी,दिनांक:12/09/2024

प्रतिलिपि :—

01. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (वन्यप्राणी) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

02. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (भू–प्रबंध/व.सं.अ) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

03. **मुख्य वन संरक्षक,** कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

04. **कलेक्टर,** जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05. **वनमंडलाधिकारी,** कांकेर/केशकाल वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06. **परियोजना निदेशक**, परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी ब्लॉक एफ–05 शिवराज ग्रीन्स सिहावा रोड धमतरी छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार (सरल क्रमांक 05 के लिए)।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी